जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा

प्रधान कार्यालय, रामेश्वर रोड़, खण्डवा (म.प्र.)
फोन 0733 - 2222733 फैक्स 0733- 2223863
E-mail- jskbkhandwa@gmail.com

"सर्व जन हिताय"

क्रं0/लेखा/ब्याजदर/2020/512 दिनांक–08.06.2020

प्रति,

शाखा प्रबंधक,
शाखा.......................................(समस्त)

विषयः– **सावधि निक्षेपों की ब्याज दरों में संशोधन बाबत्।**
संदर्भः– मु.का. लेखा पत्र क्रं./2020/ LCQ /12.05.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र के माध्यम से सावधि अमानत की ब्याज दरों का निर्धारण किया गया था। अन्य व्यावसायिक बैंकों एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरों को दृष्टिगत रखते हुये बैंक प्रशासक/संचालक मण्डल की बैठक दिं.–04.06.2020 के निर्णयानुसार सावधि निक्षेप की ब्याज दरों में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है।

1. **सावधि निक्षेप की ब्याज दरें दि. 12.06.2020 से निम्नानुसार निर्धारित की जाती है–**

क्रं	सावधि निक्षेप समयावधि	संशोधित ब्याज दर नियमानुसार न्यूनतम राशि से अधिकतम राशि तक
1	15 दिन से 45 दिन तक	4.00%
2	46 दिन से 90 दिन तक	4.50%
3	91 दिन से 180 दिन तक	5.50%
4	181 दिन से 364 दिन तक	5.75%
5	01 वर्ष एवं 03 वर्ष से कम तक	6.00%
6	03 वर्ष एवं 10 वर्ष से कम तक	6.00%
7	रिवाल्विंग फण्ड, बेड डेट फण्ड, रिस्क फण्डे, स्पेशल बेड डेट फण्ड	6.00%
8	जमा अमानत कर्मचारी (CSD)	7.00%
9	कॉल डिपाजिट पैक्स के लिये	7.00%

.2...

2 वरिष्ठ नागरिकों को बैंक के पूर्व परिपत्रों के अनुसार एक वर्ष से अधिक की नवीन मियादी जमाओं एवं अवधि समाप्त जमा राशियों के नवीनीकरण पर ही सामान्य प्रचलित सावधि निक्षेप ब्याज दर से 0.50 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान की जावेंगी।

3. उपरोक्त संशोधित ब्याज दरें **12.06.2020** से नई सावधि जमा राशियों एवं अवधि समाप्त जमा राशियों के नवीनीकरण पर ही लागू होगी। ब्याज दरों में किये गये परिवर्तन संबंधी सूचना शाखा के सूचना पटल पर लगाई जावें तथा शाखा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया जावे, बैंक कर्मचारियों को निर्धारित दर से एक प्रतिशत अधिक ब्याज बैंक पत्र क्र.लेखा/07/7977/दिनांक 13.03.07 के निर्देशों के अनुरूप दिया जावें साथ ही सीनियर सिटीजन एवं बैंक कर्मचारियों को 0.50% (आधा प्रतिशत) या 1% (एक प्रतिशत) दोनों में से कोई एक ही लाभ दिया जावें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्र0/लेखा/ब्याजदर/2020/512 दिनांक–08.06.2020

प्रतिलिपिः–

1. कक्ष प्रमुख, कक्ष————————समस्त, प्र0का0, खण्डवा की ओर सूचनार्थ।
2. सीबीएस कक्ष प्रमुख की ओर आई.आर. डालने हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी